न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—113 / 16 (2016 / 00093) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—देवीलाल पिता रामा जाट निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—नारायण सिंह पिता भीमसिंह राजपूत निवासी खेमाणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1— जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2— हरिश टेलर — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय दिनांक 10.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादि में स्थित साबिक आ.स. 1013 रकबा 2 बिघा 2 बिस्वा भूमि संवत 2022 से 2025 में भीम सिंह, राम सिंह पिता किशन सिंह राजपूत के नाम उसकी अन्य आराजी के साथ दर्ज रेकार्ड थी। उक्त साबिक आ.स. 1013 रकबा 2 बिघा 2 बिस्वा भूमि मे से प्रार्थी के दादा नाथु पिता धन्ना जाट ने भीम सिंह राम सिंह से 1 बिघा 8 बिस्वा भूमि जरिये विक्रयपत्र के दिनांक 24.12.1966 को तादादी 99/— रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा नामान्तरणकरण संख्या 180 दिनांक 03.12.1967 को प्रार्थी के दादा नाथु के नाम जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 मे अमल हो चुका जिसकी नकले प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैलसा मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जाये कि विपक्षीगण मौके पर प्रार्थी के कब्जे कास्त में किसी प्रकार दखंलदाजी न तो स्वयं करें और न अन्य किसी से करवायें तथा आराजी संख्या 2309 को विपक्षी संख्या 1 किसी अन्य को रहन बय बक्षीश नही करें तथा विपक्षी संख्या 2 विपक्षी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नही करें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 की और से अधिवक्ता हरिश टेलर उपस्थित जिनकी और से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

आज पत्रावली पेश के दौरान दोनो अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने विचाराधीन प्रकरण में रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सहमति व्यक्त की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की सहमति पर विचार किया गया। मूलवाद के निस्तारण तक विवादित आराजियात की रेकार्ड और मौका स्थिति बनाई रखने पर किसी का कोई हित प्रभवित नही होता है तथा आगे प्रकरण में जटिलता नही बडे इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में और विपक्षीगणो के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगणों के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम बोराणा की आराजी संख्या 2309 रकबा 0.15 है0 की रेकार्ड और मौके की यथा स्थिति बनाये रखे विपक्षीगण मौके पर प्रार्थी के कब्जे कास्त में किसी प्रकार दखंलदाजी न तो स्वयं करें और न अन्य किसी से करवायें तथा न कीसी अन्य को रहन बय बक्षीश नही करें और रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखी जावें। उक्त पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.21 14:40:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: